प्रेषक,

राम बहादुर,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 20 जनवरी, 2015**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अनुरक्षण अवधि के अन्तराल में अत्यधिक यातायात के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले मार्गों की वास्तविक स्थिति की जॉच हेतु कमेटी गठित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता, (ग्रामीण सड़क) पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-121प्र0प0(शा0)/725प्र0प0/08, दिनांक-18.09.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्तमान में अनुरक्षण अवधि के अन्तराल में अत्यधिक यातायात के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले मार्गों की वास्तविक स्थिति की जॉच हेतु जॉच समिति का निर्धारण किया गया है। उक्त जॉच समिति निम्नवत् है:-

(1)	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता	-	अध्यक्ष
(2)	पी0आई0यू0 के अधिशासी अभियन्ता	-	सचिव
(3)	जनपद के अधिशासी अभियन्ता, जिनको मार्ग का चार्ज प्राप्त करना है	-	सदस्य

2- इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पत्र संख्या-368/टी-194/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/13, दिनांक-01.05.2013 द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित ऐसे मार्ग जो अधिक यातायात के दबाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं, उनके हस्तान्तरण हेतु प्रमुख अभियन्ता, (ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गयी व्यवस्थानुसार समिति की आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराते हुये उसकी प्रति उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को दी जाय।

3- इस सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था की जाती है:-

(i) वर्तमान में अनुरक्षण अवधि के अन्तराल में अत्यधिक यातायात के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले मार्गों की वास्तविक स्थिति की जॉच हेतु विद्यमान जॉच कमेटी के स्थान पर निम्नवत् जॉच कमेटी का गठन किया जाता है:-

(1)	सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0	-	अध्यक्ष
(2)	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त	-	सदस्य
(3)	पी0आई0यू0 के अधिशासी अभियन्ता	-	सचिव
(4)	स्टेट खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, जिनको मार्ग हस्तान्तरित किया जाना है	-	सदस्य

http://srsanadesh.up.nic.in

(ii) उक्त के अतिरिक्त मार्ग के पूर्ण होने के पश्चात् अनुरक्षण अवधि के अन्तराल में अनुरक्षण के दौरान यदि कोई मार्ग अत्यधिक यातायात के कारण ध्वस्त होता है, तो समिति द्वारा ऐसे ही प्रकरणों में विचार कर संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसकी 01 प्रति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। लोक निर्माण विभाग के प्रकरणों में प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) लो0नि0वि0 एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के प्रकरणों में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

(iii) जॉच कमेटी के समक्ष सदस्य-सचिव द्वारा रखे जाने वाले प्रस्ताव के साथ यातायात घनत्व का आगणन (मानक यातायात सर्वेक्षण के आधार पर) भी अनिवार्यत: प्रस्तुत किया जाय।

(iv) जॉच कमेटी अपनी रिपोर्ट में इस बात को भी रखे कि सड़क की डिजाइन में कोई गम्भीर त्रुटि तो नहीं थी और यातायात के पूर्वानुमान अव्यवहारिक तो नहीं थे, यदि हॉ तो, दोषी अभियन्ताओं के विरूद्व कार्यवाही की संस्तुति भी की जाय।

(v) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पूर्व आदेश के अनुसार जॉच कमेटी की आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

(vi) जिन मार्गों का निरीक्षण पुरानी कमेटी द्वारा किया जा चुका है, उन मार्गों का नयी जॉच कमेटी के द्वारा पुन: निरीक्षण आवश्यक नहीं होगा।

4- इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, (ग्रामीण सड़क) पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-121प्र0प0(शा0)/725प्र0प0/08, दिनांक-18.09.2012 में किये गये प्राविधानों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

राम बहादुर
सचिव।

<u>संख्या- 2/2015/ पी-1309 (1)/अड़तीस-9-2014, तद दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1- स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समस्त अधिशासी अभियन्ता, परियोजना क्रियान्व्यन इकाईयों, पीएमजीएसवाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in